

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म0प्र0)

आ0प्र0क्रमांक–809 / 2010
संस्थित दिनांक–21.10.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म0प्र0)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

1. गुहदड़ पिता बाबूराम लोहार, उम्र-52 वर्ष,
साकिन दरबारी टोला, थाना बिरसा, जिला-बालाघाट (म0प्र0)

2. बाबूराम पिता उरकुड़ लोहार, उम्र-75 वर्ष,
साकिन दरबारी टोला, थाना बिरसा, जिला-बालाघाट (म0प्र0)

3. पूरन पिता गुहदड़ लोहार, उम्र-28 वर्ष,
साकिन दरबारी टोला, थाना बिरसा, जिला-बालाघाट (म0प्र0)

----- आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-09/07/2014 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 (भाग-दो) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-06.10.2010 को शाम करीब 6:00 बजे स्थान ग्राम दरबारी टोला, थाना बिरसा जिला-बालाघाट अन्तर्गत फरियादी अमरसिंह को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, आहत अमरसिंह को उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-06.10.2010 को समय शाम करीब 6:00 बजे स्थान ग्राम दरबारी टोला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट अंतर्गत फरियादी अमरसिंह को आरोपीगण ने साले मादरचोद अपनी औरत के कहने पर काम करता है, कहकर गन्दी-गन्दी गालियाँ दिये और बैल जोड़ी से क्यों जुताई करता है, घास लाकर खिलाता है कहकर हाथ-झापड़ से मारपीट किये तथा आंगन में गिरा दिये और जान से मारने की धमकी दिये। उक्त घटना में फरियादी/आहत अमरसिंह के बांये हाथ की कोहनी और दाहिने कंधे में चोट आयी

और खून निकलने लगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी/आहत द्वारा पुलिस थाना बिरसा में आरोपीगण के विरुद्ध की गई, उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बिरसा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-118/10, अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भा.द.सं. का अपराध कायम करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 294, 323/34, 506-(भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया गया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक-06.10.2010 को समय शाम करीब 6:00 बजे स्थान दरबारी टोला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट अन्तर्गत फरियादी अमरसिंह को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत अमरसिंह को को उपहति कारित करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत अमरसिंह को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

विचारणीय बिन्दु क.-। पर सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी/आहत अमरसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण उसके रिश्तेदार है आरोपी बाबूराव उसके पिता है तथा आरोपी गुहदड़ उसका भाई है और आरोपी पूरन, गुहदड़सिंह का लडका है। घटना एक वर्ष समय 6 बजे की है, घटना के समय वह अपने सिलाई की दुकान पर बैठा था तभी आरोपीगण उसकी दुकान के पास आये तो उसने जमीन के बंटवारा की बात किया तो उसके पिता आरोपी बाबूराम ने कहा कि तू मेरा लडका नहीं है। ऐसा कहकर तीनों आरोपीगण ने उसे पकड़ लिया और सीमेंट की रोड़ पर घसीटे और हाथ से मारपीट किये, जिससे उसे पीट और सिर पर चोट आयी थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में की थी। आरोपीगण ने उसकी पत्नि के साथ भी मारपीट किये थे। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसका चिकित्सीय परीक्षण शासकीय अस्पताल बिरसा में हुआ था। पुलिस

ने उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जमीन के बंटवारे को लेकर बातचीत करते समय दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपीगण तथा उसके व उसकी पत्नि के मध्य लामा-झुमी हुई थी। साक्षी ने स्वतः यह भी कथन किया है कि यदि उसके पिता बंटवारे में जमीन दे दे तो वह आरोपीगण से राजीनामा करने के लिए तैयार है। इस प्रकार साक्षी के सम्पूर्ण कथन से यह तथ्य प्रकट होता है कि आरोपीगण, फरियादी के पिता, भाई व भतीजा हैं तथा घटना के समय आरोपीगण और फरियादी के मध्य जमीन के बंटवारे को लेकर वाद-विवाद हुआ था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने उसके द्वारा लिखायी गई रिपोर्ट एवं पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश करते हुए उसे आरोपीगण द्वारा मारपीट कर साधारण चोट पहुंचाने के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन किया गया है।

7— फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए ज्योतिबाई(अ.सा.3) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपीगण उसके रिश्तेदार हैं तथा प्रार्थी अमरसिंह उसका पति हैं। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व की है, आरोपी बाबूलाल और आरोपी गुहदड़ ने उसके पति के साथ लकड़ी से मारपीट किये थे, उसके थोड़ी देर बाद आरोपी पूरन आया और हाथ से उसके पति के साथ मारपीट की थी। मारपीट से उसके पति का खून बहने लगा था। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार के साक्षी के कथन पर केवल इस कारण से अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है कि वह फरियादी अमरसिंह की पत्नि होकर हितबद्ध साक्षी है।

8— अमरसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-06.10.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक अमन क्रमांक-795 द्वारा अमरसिंह पिता बाबूराम को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था। उसके द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें उसके आहत के दांयी बख्खे व बांयी कोहनी पर एक-एक खरौंच पाया था। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि आहत के परीक्षण के दौरान उसके मुंह तथा श्वास से शराब की गंध आ रही थी। आहत के आंखों की दोनों पुतलिया फेली हुई थी तथा आवाज और चाल में लड-लखाहड़ थी। साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में आहत को आयी चोटे साधारण प्रकृति की होने तथा आहत द्वारा शराब का सेवन किये जाने के संबंध में अभिमत दिया है। उक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि आहत अमरसिंह के चिकित्सीय परीक्षण

के समय आहत अमरसिंह शराब के नशे में था। साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में अपनी चिकित्सीय अभिमत में आहत अमरसिंह को साधारण उपहति कारित होने की पुष्टि की है।

9— अभियोजन की ओर से घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत साक्षी ज्ञानसिंह(अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

10— अनुसंधानकर्ता एम.एल.उईके (अ.सा.5) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-07.10.2010 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-118/10, धारा-294, 323, 506/34 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रार्थी अमरसिंह की निशानदेही पर प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी अमरसिंह, ज्योति एवं दिनांक-12.10.2010 को साक्षी ज्ञानसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे। उसके द्वारा दिनांक-07.10.2010 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 से लगायत प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं उसके द्वारा साक्षियों और आरोपीगण के हस्ताक्षर लिये गये थे। उसके द्वारा विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की केस डायरी चालानी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

11— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षी आहत अमरसिंह (अ.सा.2) एवं ज्योतिबाई (अ.सा.3) ने एकमत होकर अपनी साक्ष्य में आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहत अमरसिंह को मारपीट कर साधारण उपहति कारित किये जाने का कथन किया है। आहत अमरसिंह को घटना के समय आयी साधारण उपहति के संबंध में आहत का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डाक्टर एम. मेश्राम (अ.सा.4) ने अपने चिकित्सीय अभिमत में पुष्टि की। यद्यपि उक्त चिकित्सीय साक्षी ने इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि घटना के समय आहत अमरसिंह शराब के नशे में था।

12— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है, किन्तु जिन महत्वपूर्ण साक्षीगण अमरसिंह (अ.सा.2) व चक्षुदर्शी साक्षी ज्योतिबाई (अ.सा.3) की साक्ष्य मामले में अखण्डित रही है तथा उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस कथन के अनुरूप कथन करते हुए अभियोजन मामले का इस संबंध में पूर्णतः समर्थन किया गया है कि आरोपीगण ने आहत अमरसिंह को साधारण उपहति कारित की थी। आहत अमरसिंह को साधारण उपहति कारित होने की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी के अभिमत से भी होती है। आरोपीगण

के द्वारा घटना के समय एकमत होकर आहत अमरसिंह को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत को मारपीट कर चोट पहुंचायी गई थी तथा उक्त मारपीट करते समय आरोपीगण का आशय निश्चित ही आहत को साधारण चोट पहुंचाने का था और वह जानते थे कि उनके कृत्य से आहत को चोट कारित होना संभाव्य है। अतएव आरोपीगण का उक्त कृत्य आहत अमरसिंह को स्वैच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है।

13— अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि आरोपीगण ने फरियादी अमरसिंह को लोक स्थान में अश्लील शब्दों का उच्चारण किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने फरियादी अमरसिंह को लोक स्थान में अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

14— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य के विवेचन उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत अमरसिंह को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत अमरसिंह को मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित किया। अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी अमरसिंह को लोक स्थान में अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरे को क्षोभ कारित किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया है। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

15— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

18— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2010 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

19— फरियादी अमरसिंह का घटना के समय शराब के नशे में होने का तथ्य प्रकट होता है। मामले में आरोपीगण और फरियादी के मध्य खानदानी भूमि के विवाद को लेकर घटना के समय आरोपीगण ने फरियादी अमरसिंह को मारपीट कर साधारण उपहति कारित की है। मामले में आरोपीगण का वर्ष 2010 से विचारण का सामना किया जाना तथा नियमित उपस्थित होना प्रकट होता है। साथ ही आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अपराध के अंतर्गत 1000—1000/—(एक—एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपीगण को एक—एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

18— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

19— प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, इसके संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण—पत्र तैयार किया जावे।

20— प्रकरण में अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट